

न्यायालय सहायक कलक्टर(फारस्ट ट्रेक), जगवारागढ़ जिला जयपुर (राज0)  
बईजलारा श्री विमनलाल गीना R.A.S.

राजस्व वाद सं0 185/2022

नाथूलाल पुत्र हरबक्स जाति गुर्जर निवासी रासियावाला तहसील आँधी जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र रामधन
2. भौरीलाल पुत्र रामधन
3. हनुमान पुत्र प्रभात्या  
जातियान गुर्जर निवासी रासियावाला, तहसील आँधी, जिला जयपुर हाल निवासी सैथल  
तहसील दौसा जिला दौसा।
4. किशनलाल पुत्र भूरया
5. रामस्वरूप पुत्र भूरया
6. हरसहाय पुत्र भूरया
7. रामकिशन पुत्र श्योबक्स
8. लाडा पुत्री भूरया
9. तोफली पुत्री भूरया  
जातियान गुर्जर निवासी रासियावाला, तहसील आँधी, जिला जयपुर।
10. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आँधी जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

अंतिम निर्णय

दावा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53,188 रा.टी.ऐक्ट

दिनांक 26.09.2023

वादी की ओर से दावा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 105 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 106 रकबा 4.4700 हैक्टेयर, 26 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, 36 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 59 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, 61 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, 86 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, 97 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 98 रकबा 1.4000 हैक्टेयर किता 9 कुल रकबा 7.3000 हैक्टेयर अनुसार ग्राम रासियावाला, पटवार हल्का थली, तहसील आँधी, जिला जयपुर के संबंध में जरिये अधिवक्ता महेश शर्मा नयावास विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत होने के उपरांत के उपरोक्त अनुसार वाद प्रस्तुत होने पर विचाराधीन प्रकरण में उपस्थिति हेतु प्रतिवादीगण को तलबी नोटिस जारी होकर पेश होने के उपरांत प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 10.04.2023 को उपस्थित वकील वादी की सुनवाई किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई एवं निर्णय पारित किया जाकर वादग्रस्त कृषि के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई गीट्स एण्ड बाउण्ड्स अर्थात् सरस नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय दिया जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके अनुशरण में तहसीलदार को कुर्रजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देने पर विवादित भूमि के सम्बन्ध में कुर्रजात रिपोर्ट के प्रस्ताव तैयार कराते हुए कुर्रजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

जो कि उक्त प्रकरण में पारित निर्णय/प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा क्रमांक भू-अ./2023/2210 दिनांक 10.08.2023 अनुसार कुर्रजात रिपोर्ट भिजवाई, जिसे पत्रावली में शामिल किया गया।

राजस्व कलक्टर (फारस्ट ट्रेक)  
जगवारागढ़ जयपुर

यह कि प्रस्तुत कुर्रजात रिपोर्ट पर सनुवाई के दौरान उपस्थित वकील वादी ने कुर्रजात रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति करने से इन्कार करते हुए अंतिम निर्णय पारित करने हेतु कथन किया। उपस्थित वकील पक्षकार को बहस अंतिम पत्रावली पर सुना जाकर विभाजन हेतु शामिल कुर्रजात रिपोर्ट नय प्रस्तावित नक्शा, दस्तावेज को मध्य नजर रखते हुए पत्रावली में हमने ब-गौर अवलोकन व मनन किया, जिसके उपरांत न्यायालय आदेशानुसार पारित प्राथमिक डिक्की की पालना में ग्राम रासियावाला में खसरा नं० 105 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 106 रकबा 4.4700 हैक्टेयर, 26 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, 36 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 59 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, 61 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, 86 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, 97 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 98 रकबा 1.4000 हैक्टेयर किता 9 कुल रकबा 7.3000 हैक्टेयर अनुसार भूमियों के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्की पारित किया जाता है तथा प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर वाद में आगे/निम्न प्रकार अन्तिम निर्णय व डिक्की पारित कर बंटवारा कायम किया जाता है।

—विभाजन की स्थिति—

1. नाथूलाल पुत्र हरबक्स जाति गुर्जर सा०देह० खातेदार के बंटवारे में खसरा नं० 98/1 रकबा 1.36 हैक्टेयर, खसरा नं० 97 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 106/1 रकबा 0.94 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर भूमि किस्म मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट कायम किया जाता है।
2. रामकिशन पुत्र श्योबक्स जाति गुर्जर सा०देह० खातेदार राहिन दी सै. कोपरेटिव बैंक लि. शाखा जमवारामगढ़ के बंटवारे में खसरा नं० 36 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नं० 86/1 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 105 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 106/2 रकबा 1.69 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर भूमि किस्म मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट कायम किया जाता है।
3. अर्जुनलाल, भौरीलाल पि० रामधन हि० 7720/23200, किरानलाल पुत्र भूरया हि० 2600/23200, रामस्वरूप, हरसहाय पि० भूरया हि० 3860/23200, लाडा पुत्री भूरया हि० 1300/23200 जाति गुर्जर सा.देह. बिला रहन, हनुमान पुत्र प्रमात्या हि० 7720/32200 जाति सा.देह राहिन सिंडिकेट बैंक, आँधी, के बंटवारे में खसरा नं० 26 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नं० 86/2 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 106/3 रकबा 1.65 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर भूमि किस्म मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट कायम किया जाता है।
4. मुताबिक कुर्रजात पक्षकारों के शामिलती खसरा नं० 98/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 106/4 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 59 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 61 रकबा 0.08 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि किस्म मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट कायम किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अंतिम निर्णय पारित किया जाकर अन्तिम डिक्की पारित की जाती है तथा साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे अनुसार कोई भी पक्षकार एक दूसरे के उपयोग उपभोग में बाधा, दखल नहीं करें। अंतिम पर्चा डिक्की जारी हो। निर्णय व डिक्की की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)  
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

**डिकी मुकदमा इब्तदाई**

(आदेश 22 नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)  
न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक), जमवारामगढ जिला जयपुर  
बईजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S.  
राजस्व वाद सं0 185/2022

उनवान:- नाथूलाल बनाम अर्जुनलाल वगेरहा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू, मुझ श्री चिमनलाल मीना R.A.S. व हाजरी.....वकील वादियां ....मिनजामिन मुददई रूबरू.....प्रतिवादीगण..... के विरुद्ध विचाराधीन वाद में.....मिन जामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि.....ग्राम रासियावाला में खसरा नं0 105 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 106 रकबा 4.4700 हैक्टेयर, 26 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, 36 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 59 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, 61 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, 86 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, 97 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 98 रकबा 1.4000 हैक्टेयर किता 9 कुल रकबा 7.3000 हैक्टेयर अनुसार भूमियों के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिकी पारित किया जाता है तथा प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर वाद में आगे/निम्न प्रकार अन्तिम निर्णय व डिकी पारित कर बंटवारा कायम किया जाता है.....

**-:विभाजन की स्थिति:-**

1. नाथूलाल पुत्र हरबक्स जाति गुर्जर सा0देह0 खातेदार के बंटवारे में खसरा नं0 98/1 रकबा 1.36 हैक्टेयर, खसरा नं0 97 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 106/1 रकबा 0.94 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर भूमि किस्म मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट कायम किया जाता है।
2. रामकिशन पुत्र श्योबक्स जाति गुर्जर सा0देह0 खातेदार राहिन दी सै. कोपरेटिव बैंक लि. शाखा जमवारामगढ के बंटवारे में खसरा नं0 36 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नं0 86/1 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 105 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 106/2 रकबा 1.69 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर भूमि किस्म मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट कायम किया जाता है।
3. अर्जुनलाल, भौरीलाल पि0 रामधन हि0 7720/23200, किशनलाल पुत्र भूरया हि0 2600/23200, रामस्वरूप, हरसहाय पि0 भूरया हि0 3860/23200, लाडा पुत्री भूरया हि0 1300/23200 जाति गुर्जर सा.देह. बिला रहन, हनुमान पुत्र प्रभात्या हि0 7720/32200 जाति सा.देह राहिन सिंडिकेट बैंक, ऑधी, के बंटवारे में खसरा नं0 26 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नं0 86/2 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 106/3 रकबा 1.65 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर भूमि किस्म मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट कायम किया जाता है।
4. मुताबिक कुर्रैजात पक्षकारों के शामिलती खसरा नं0 98/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 106/4 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 59 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 61 रकबा 0.08 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि किस्म मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट कायम किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अंतिम निर्णय पारित किया जाकर अन्तिम डिकी पारित की जाती है तथा साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे अनुसार कोई भी पक्षकार एक दूसरे के उपयोग उपभोग में बाधा, दखल नहीं करे। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर हाजा अदालत में आज तारीख 26.09.2023 को जारी किया।

दस्तखत.....

ओहदा.....

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
जयपुर